केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/39 दिनांक: 03.02.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00033
CICOM/R/2016/01660

अपीलकर्ता : श्री नर्वदेश्वर प्रसाद सिन्हा,
57, नन्दनपुरी, खाजपुरा,
पटना -800014.

निर्णय की तारीख : 03.02.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	20.12.2016
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.01.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. के. मोहापात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	20.01.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	105375/25.01.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	28/30.01.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से छः बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी.के.मोहापात्रा, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त (एम.पी.) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. अपीलकर्ता ने प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से असंतोष व्यक्त किया है कि उन्होंने हिन्दी भाषा में आर.टी.आई. आवेदन दाखिल किया था जबकि उन्हें अग्रेजी में सूचना दी गई । इस संबंध में उल्लेख किया जाता है कि आयोग में आयोग में हिन्दी टंकण जानने वाले कार्मिकों के अभाव तथा आर.टी.आई. आवेदनों के समयबद्ध होने के कारण हिन्दी में सूचना प्रदान करने में कठिनाई होती है, फिर भी संबंधित जन सूचना अधिकारी श्री टी. के. मोहापात्रा को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में हिन्दी में प्राप्त आवेदनों के संदर्भ में यथासम्भव हिन्दी में ही सूचना देने का प्रयास करें, यदि हिन्दी टंकक उपलब्ध न हों तो हस्तलिखित सूचना भी दी जा सकती है ।

3. अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि बिंदु सं. 2 एवं 4 में दी गई सूचनाएं परस्पर विरोधी है । संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं. 2 के तहत सूचना दी गई है कि "आयोग के आदेश वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं, आप आदेश का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर कर सकते हैं" जबकि बिंदु सं. 4 के तहत सूचना दी गई है कि "सुनवाई के पश्चात संबंधित संचिका वापस नहीं आई है", जो कि बिल्कुल तथ्यात्मक है । उल्लेखनीय है कि सूचना आयुक्त द्वारा आदेश जारी होने के बाद ही संचिका रजिस्ट्री में वापस आती है और अभी तक संदर्भित दोनों संचिकाओं पर आदेश जारी नहीं हुए हैं । इसलिए इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है । जहाँ तक अपीलों के स्वीकृत होने या अस्वीकृत होने का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि अपील स्वीकृत होने के बाद ही उस पर सुनवाई होती है । अतः श्री टी.के.मोहापात्रा, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त (एम.पी.) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही एवं तथ्यात्मक है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

O/C

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि : (b) 3/2/17

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री टी.के.मोहापात्रा, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त (एम.पी.) कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

3/2/17

C.I.C. / के. सू. आ.
RECEIVED
03 FEB 2017
Initials:

C. I. C. / के. सू. आ.
ISSUED
04 FEB 2017
D. No.
Initials.